पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

निविदा संख्याः आई.आई.आई.टी.डी.एम.जे/निविदा/2015–2016/07/..... दिनांक 2015

छात्रावास क्रं. –3 में स्वल्पाहारगृह हेतु निविदा प्रपत्र

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
डुमना एयरपोर्ट रोड,पी.ओ. खमरिया
जबलपुर– 482005

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक : 2015

निविदा क्रेता का नाम :

....

....

....

इसमें कुल 14 पृष्ठ हैं ।

निविदा प्रपत्र का **शुल्क** 500/– रू. मात्र
निविदा प्रपत्र की राशि का बैंक ड्राफ्ट, कुलसचिव पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम, जबलपुर के पक्ष में देय होगा

निविदा अनुसूची के साथ तथ्य पत्रक

1	निविदा कर्ता का पूरा नाम और पता	
2	निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	17.07.2015
3	निविदा प्रपत्र के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	12.08.2015 14:00 बजे तक
4	निविदा पूर्व सम्मेलन कार्यक्रम	27.07.2015 15:00 बजे संस्थान के सभाग्रह में
5	मोहरबंद निविदा फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	12.08.2015 15:00 बजे
6	मोहरबंद निविदा फॉर्म खुलने की तिथि (केवल तकनीकी)	12.08.2015 16:00 बजे संस्थान के सभाग्रह में
7	निविदा की वित्तीय बोली खुलने की तिथि (वे जिन्होंने तकनीकी आर्हता पूरी की हो)	बाद में निर्णय लिया जाएगा

कुलसचिव
पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर

निविदा केता के हस्ताक्षर

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
जबलपुर-482005

छात्रावास क्रं. –3 में स्वल्पाहारगृह हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदाओं को दो अलग– अलग मुहरबंद लिफाफों अ और ब दो भागों में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

लिफाफा अ के अंदर निम्नलिखित तकनीकी जानाकरी होना आवश्यक है :

(1) फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र ।

(2) फर्म / स्वामी का वैट पंजीकरण की प्रति ।

(3) फर्म / स्वामी का किसी एक वित्तीय वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र ।

(4) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष का अंकेक्षित विवरण पत्रक की कुल बिकी 3.00 लाख रू. वार्षिक का होना आवश्यक है ।

(5) फर्म / स्वामी का पैन कार्ड की प्रति ।

(6) निविदा के नियम एंव शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं मुहर होनी चाहिए ।

(7) अमानत राशि 10,000 / –(दस हजार रू.मात्र) रू. तकनीकी बोली लिफाफे में संलग्न किया जाना आवश्यक है। बिना अमानत राशि की तकनीकी बोली को निरस्त कर दिया जावेगा ।

(8) निविदा राशि 500 / – (पॉच सौ रू. मात्र) तकनीकी बोली लिफाफे में संलग्न होना चाहिए । बिना निविदा राशि के तकनीकी बोली को निरस्त कर दिया जावेगा ।

लिफाफा ब के अंदर निम्नलिखित मूल्य बोली जानाकरी होना आवश्यक है :

1. लिफाफे **ब** में केवल मूल्य बोली होनी चाहिए । संस्थान द्वारा निर्धारित दिनांक,समय एव स्थान पर मूल्य बोली केवल उन फर्मों की खोली जाएगी जिनको तकनीकी रूप से चयनित किया जाएगा । इस संबंध में संस्थान द्वारा सूचना डाक / ईमेल / फैक्स आदि के रूप में भेजी जाएगी ।

1. कार्य का क्षेत्र

1.1 सफल पाये गये बोलीदाता को पीडीपीएम–आईआईआईटीडीएम जबलपुर के छात्रावास–3 के छात्रों और आंगुतकों के लिए स्वल्पाहारगृह के संचालान की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

1.2 आवंटन की अवधि को बनाए रखने हेतु एक वर्ष की संतोषजनक सुविधाओं पर बढ़ाई जाएगी ।

1.3 ठेकेदार को निविदा (उल्लेखित अनुबंध ब) में निर्धारित दरों पर किराया, विद्युत शुल्क, का भुगतान महीने के प्रथम सप्ताह में अग्रिम देय होगा, और अन्य शुल्क / वसूली दुकान संचालन हेतु उपलब्ध परिसर में संस्थान या स्थानीय निकायों द्वारा मूल्यांकन पर होगा । वर्तमान में, पानी का शुल्क रू. 200 / – प्रति महीना और विद्युत शुल्क रू. 8.4 पैसा प्रति यूनिट है ।

2. पात्रता मापदंड

2.1 ठेकेदार के पास बोली खुलने की तिथी को वैध लाइसेंस (दुकान और प्रतिष्ठान, टिन और पैन) होना चाहिए।

2.2 ठेकेदार को अदालत द्वारा दोषी ठहराया नहीं जाना चाहिए । (उसे ऐसा शपथ पत्र देना होगा)

2.3 पिछले तीन वित्तीय वर्षो में से किसी एक वर्ष की कुल बिक्री 3.00 लाख रू. वार्षिक का होना आवश्यक है। (अंकेक्षित विवरण पत्रक संलग्न करे)

2.4 ऐसे निविदाकार/फर्म्स या एजेंसीज, जिन्हें किसी विश्वविद्यालय मंत्रालय /सार्वजनिक उपक्रम/अन्य निजी संस्थाओ में स्वल्पाहारगृह चलाने का 3 वर्ष का अनुभव हो, को वरीयता दी जायेगी ।

3. सामान्य नियम एवं शर्तें :

3.1 ठेकेदार को यह आवश्यक है कि वह संस्थान द्वारा निर्धारित और अनुलग्नक 1 में दी गई कीमतों के आधार पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये ।

3.2 सफल निविदाकार को उसके द्वारा बोले गए उच्चतम अनुज्ञप्ति शुल्क (License Fees) के आधार पर ठेका दिया जाएगा. हालांकि न्यूनतम अनुज्ञप्ति शुल्क (License Fees) रु. 1500/-- (रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह होगा।

3.3 लगभग 500 छात्र छात्रावास –3 में निवास करते हैं जो चौबीसो घंटे सप्ताहांत में भी यहां रहते हैं।

3.4 सामान्यतः छात्रावास –3 का स्वल्पहारगृह (Canteen) सुबह 8.30 बजे से रात के 8.30 बजे तक खुलता है शनिवार व रविवार सहित सप्ताह के सातों दिन खोली जाती है । छात्रावास –3 के स्वल्पारगृह (Canteen) को खोलने व बंद करने का समय ग्रीष्मकाल व शीतकाल में संस्थान के सक्षम अधिकारियों व्दारा निश्चित किया जाएगा।

3.5 स्वल्पाहारगृह समिति (Canteen Committee) बोलीकर्ताओं द्वारा दी जा रही सुविधा (Similar services) के वर्तमान कार्यस्थल पर, उसके पास उपलब्ध सामग्री/उपकरणों व खाद्यसामग्री के स्वाद व गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु जा सकती है। स्वल्पारगृह समिति (Canteen Committee) को, उसके द्वारा किए गए निरीक्षण के निष्कर्ष अनुसार तकनीकी बोली (Technical Bid) को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

3.6 निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, किसी भी निविदा/बोली या सभी निविदा/बोलियों को, बिना कोई कारण बताए, स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

3.7 सफल ठेकेदार को, संस्थान द्वारा उसे दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति से, 15 दिवस के भीतर स्वल्पारगृह (Canteen) का संचालन करना होगा । यदि सफल पाये गये निविदा कर्ता ऐसा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की अमानत राशि (Earnest Money Deposit) जब्त कर ली जाएगी व अगले पात्र बोलीदार को प्रस्ताव दिया जाएगा।

3.8 यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक अनुज्ञप्ति शुल्क (License Fees) जमा करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्ति शुल्क के 10 प्रतिशत या रु. 1000/-- (रुपये एक हजार मात्र) जो भी अधिक हो, प्रतिमाह की दर से, अर्थदंड (Penalty) अधिरोपित की जाएगी।

3.9 स्वल्पारगृह में उपयोग की जाने वाली खाद्य पदार्थ का उपयोग उसकी समाप्ति तिथि (Expiry date) के बाद भी करते पाया जाता है तो अर्थदंड के रूप में रु. 2000/– (रुपये दो हजार)) अधिरोपित किया जाएगा व उक्त खाद्यसामग्री को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह तत्काल प्रभाव से ठेका निरस्त कर दें।

3.10 सफल ठेकेदार, म.प्र.पू.क्षे.विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संस्थान को प्रभारित वाणिज्यिक दर से बिजली बिल का भुगतान, प्रतिमाह रु. 8.40 प्रति यूनिट वर्तमान दर या संस्थान द्वारा समय– समय पर तय की गई दर से करेगा. इस हेतु छात्रावास – 3 के स्वल्पारगृह में संस्थान के खर्च पर सब मीटर लगाया जाएगा।
सफल ठेकेदार को, समय समय पर संस्थान में होने वाली बैठकों या समारोह में, नाश्ता/खाद्यपदार्थ की सेवाओं को देना होगा वे खाद्यपदार्थ जो अनुबंध 1 (Annexure 1) के अंतर्गत नहीं आते है, उनकी दर दोनो पक्षों द्वारा आपस में तय की जाएगी।

3.11 छात्रावास – 3 का स्वल्पागृह सप्ताह के सातों दिन संचालित किया जाएगा जिसमें कोई अवकाश का दिन नहीं होगा व किसी भी दिन सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर बंद नहीं रखा जाएगा।

3.12 सफल ठेकेदार केवल वही वस्तुऍ और खाद्यपदार्थ के विक्रय का अधिकार होगा जो संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

3.13 वे वस्तुऐं जो सूची में सम्मिल्लित नहीं की गई हैं उनके विक्रय की दर संस्थान और सफल ठेकेदार द्वारा तैयार की जाएगी ।

3.14 सफल ठेकेदार द्वारा छात्रावास – 3 के स्वल्पागृह में, किसी भी नाबालिग को कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा ।

3.15 सफल ठेकेदार को, ठेका आवंटन आदेश की तिथि से 10 दिन के भीतर, सुरक्षा निधि (प्रदर्शन बैंक प्रत्याभूति) के रुप में रु. 15,000/– (रुपये पंदरह हजार मात्र) जो “पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर” के पक्ष में जबलपुर में देय हो, प्रस्तुत करनी होगी।

3.16 यदि ठेका अनुबंध अवधि के दौरान, किसी भी समय यह पाया गया कि स्वल्पाहारगृह में परोसे जानेवाले खाद्यपदार्थ अस्वास्थ्यकर/असंतोषजनक है या सफल ठेकेदार, ठेका अनुबंध के तहत उसके कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा है, तो संस्थान को अधिकार होगा कि उसका ठेका निरस्त कर दें व ऐसी स्थिति में अपने विवेकानुसार, प्रतिभूति राशि रु.15,000/– या उसका कोई भाग भाास्ति (Penalty) या दंडस्वरुप जब्त कर लें।

3.17 सफल ठेकेदार के लिये यह आवश्यक होगा कि स्वल्पाहारगृह के बाहर, उचित सीन पर अनुमोदित खाद्यपदार्थों की दर सूची प्रदर्शित करे।

3.18 सफल ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी कि सभी खाद्यपदार्थ कांच के आवरण वाले केस में रखे जाए जिससे मख्खियां या अन्य कीड़ों से सुरक्षित रह सके. उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खाद्यपदार्थ दस्ताने पहन कर या चिमटी के माध्यम से परोसे जाएं।

3.19 संस्थान द्वारा छात्रावास– 3 के स्वल्पाहारगृह में परोसे जाने वाले खाद्यपदार्थों के निरीक्षण व उन पर राय देने के लिए समिति का गठन किया जा सकता है।

3.20 उधार विक्रय या हानि या चोरी इत्यादि के लिए संस्थान की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

3.21 सक्षम प्राधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, खाद्यपदार्थों के निर्माण की, समय–समय पर जांच कर सकेंगे व ऐसी वस्तुएं या उसकी तैयारियां जो स्वास्थ्य के लिए अहितकर या अस्वास्थ्यकर पाई जाए, को उनके द्वारा बिना किसी मुआवजे/क्षतिपूर्ति के, अस्वीकृत कर दी जाएगी व वे अर्थदंड भी प्रभारित कर सकेंगे।

3.22 खाद्यसामग्री परोसे जाने वाले बर्तन/क्राकरी सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित व उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।

3.23 सफल ठेकेदार को छात्रावास– 3 के भीतर व उसके आसपास अच्छी साफसफाई स्वयं के व्यय पर रखने हेतु बाध्य होगा. इसके लिए संस्थान का कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

3.24 सफल ठेकेदार को छात्रावास – 3 में स्वल्पाहारगृह चलाए जाने हेतु शासन अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई दरों के अनुसार लागू शुल्क/करों का संबंधित प्राधिकारी को सीधे भुगतान करेगा व भुगतान के विवरण, प्रमाण हेतु कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

3.25 किसी विवाद की स्थिति में सफल ठेकेदार एवं संस्थान के बीच संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा व सफल ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

3.26 सभी कानूनी विवाद जबलपुर न्यायक्षेत्र के अधीन होंगे।

3.27 सफल ठेकेदार के पास छात्रावास– 3 में स्वल्पाहारगृह हेतु आवश्यक सभी उपकरण, बर्तन, क्राकरी(चीनी मिट्टी के बर्तन) इत्यादि पर्याप्त संख्या में व चालू अवस्था में उपलब्ध होना चाहिये।

3.28 संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह किसी विशिष्ट प्रकार (ब्रांड) या बनावट (मेक) का पदार्थ ठेकेदार को विक्रय करने की अनुमति न दे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त पदार्थों की सूची में छात्रों/कर्मचारियों/आगंतुकों की आवश्यकतानुरुप बदलाव किए जा सकते हैं।

3.29 सफल ठेकेदार के पास सेवा देने हेतु पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक बर्तन, क्राकरी व मूलभूत संरचना उपलब्ध होनी चाहिये। उसे दोपहर व रात्रि भोजन (बुफे, लंच, डिनर) या चाय पार्टी का प्रबंध करने को कहा जा सकता है जिसकी दरें आपसी सहमति से तय की जाएगी।

3.30 सफल ठेकेदार को छात्रावास– 3 में स्वल्पाहारगृह के संचालन में सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे व एक प्राथमिक सहायता पेटी (First Aid Box) रखना होगी, जिसे समय–समय पर अद्यतन/परिपूर्ण करना होगा। ठेकेदार, उसके कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु भी जवाबदार होगा ।

3.31 सफल ठेकेदार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि उसके कर्मचारियों के चरित्र व पूर्ववृत्त का उसके द्वारा पुलिस सत्यापन कराया जाए।

3.32 सफल ठेकेदार ऐसे किसी भी कर्मचारी को छात्रावास – 3 में स्वल्पाहारगृह के कार्य में नहीं रखेगा जो किसी छूतहा या संक्रमित बिमारी से पीड़ित हो उसे समय समय पर उनकी व्यक्तिगत साफसफाई व स्वच्छता भी सुनिश्चित करानी होगी।

3.33 सफल ठेकेदार द्वारा परिसर या उसका कोई भी भाग किसी भी उद्देश्य से किसी अन्य एजेंसी को उपकिराये पर नहीं दिया जाएगा।

3.34 सफल ठेकेदार को संस्थान परिसर में चलित गाड़ियां आवश्यकतानुसार संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

3.35 सफल ठेकेदार, अनुबंध के तहत अनुमत उद्देष्य के अलावा अन्य किसी गतिविधि में स्वयं को संलग्न नहीं करेगा।

3.36 सफल ठेकेदार, अनुज्ञप्ति दाता को ऐसे किसी भी या सभी दावों के अधीन किसी भी हानि के लिए क्षतिमुक्त रखेगा, जो कि अनुज्ञप्तिधारक के कर्मचारियों को हुई हो।

3.37 सफल ठेकेदार, उसके स्वयं के व्यय पर अपने सभी कर्मचारियों को संस्थान के सामान्य प्रषासन से अनुमोदित पहचान पत्र उपलब्ध करवाएगा।

3.38 ठेके के अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही या छात्रावास – 3 में स्वल्पाहारगृह की अनुज्ञप्ति खत्म होते ही सफल ठेकेदार, अपने कियाकलाप व व्यवसाय तुरंत समाप्त/बंद करेगा व उसे संपूर्ण स्वल्पाहारगृह (Canteen) परिसर तत्काल रिक्त करना होगा। परिसर रिक्त किए जाने में असफल रहने की स्थिति में, संस्थान यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह समस्त वस्तुएं/पदार्थ ठेकेदार के व्यय एवं जोखिम पर परिसर से हटा दें।

3.39 छात्रावास – 3 में स्वल्पाहारगृह में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी/कामगार, संस्थान द्वारा निष्चित की गई वर्दी (Uniform) में कार्य करेंगे जिसका व्यय सफल ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

3.40 निविदाकार, उपरोक्त षर्तों एवं निबंधनों के अलावा भी संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी के आदेषानुसार षर्तों एवं निबंधनों का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

3.41 सफल ठेकेदार से किया जाने वाला औपचारिक अनुबंध प्रथमतः एक वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा व तदनंतर आवष्यक पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

3.42 ठेकेदार फर्म/एजेंसी के कार्यनिष्पादन का लगातार निरीक्षण एवं निगरानी, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर के इस हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाएगा । यदि ठेके की अवधि के दौरान, किसी भी समय ठेकेदार फर्म/एजेंसी का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया तो पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, बिना कोई कारण बताए, ठेका अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.43 कृपया ध्यान दें कि छात्रों एवं कर्मचारियों की संख्या केवल संभाव्य ग्राहकों की सांकेतिक संख्या है। संस्थान इस बात का कोई आष्वासन (गारंटी) नहीं देता कि उसके सभी छात्र/कर्मचारी स्वल्पाहारगृह सुविधा का लाभ उठाएंगे।

3.44 छात्रावास – 3 में स्वल्पाहारगृह के सुलभ संचालन हेतु, बैठक क्षेत्र में आवष्यक फर्नीचर, सफल ठेकेदार को संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। परंतु सफल ठेकेदार, समस्त फर्नीचर/विद्युत फिटिंग/उपस्कर की मरम्मत एवं रखरखाव, एवं उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी फर्नीचर या अन्य विद्युत सामग्री को हुई किसी भी क्षति या हानि को ठेकेदार वहन करेगा।

3.45 स्वल्पाहारगृह के संचालन में निकलने वाले कूड़ा कचरे का निपटान, ठेकेदार द्वारा संस्थान के परिसर के बाहर किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कचरा व बची खुची सामग्री, छात्रों या ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा स्वल्पाहारगृह के बाहर फेंकी/फैलाई/निपटान नहीं की जाएगी जो छात्रों के स्वास्थ्य समस्या का कारण बने।

3.46 निविदा को अंतिम रूप बोलीकर्ताओं द्वारा बोले गए अनुज्ञप्ति षुल्क (License Fees) के आधार पर दिया जाएगा।

3.47 ठेकेदार को अमिष एवं समिष खाद्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की पृथकता का ध्यान रखना होगा और इसकी जॉच सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी । इस शर्त का उल्लघंन होने पर सक्षम अधिकारी के निर्णय अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी ।

3.48 कैंटीन की लेआऊट डिजाईन अनुलग्नक –2 के रूप में संलग्न है ।

4 अनुबंध की अवधि

1. एक औपचारिक अनुबंध किया जाएगा और यह आगे एक वर्ष के लिए वैध होगा और आगे भी बढ़ाया जा सकेगा । आवष्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेष पर ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्षन के आधार पर अनुबंध एक समय में एक वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाऐगा ।

2. यदि संस्थान की निगरानी समिति अनुबंध के अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर असंतोषजनक विवरण (रिपोर्ट) देती है तो देकेदार को दिये गये अवसर के बाद भी उसका अनुबंध समाप्त किया जा सकता है । इस संबंध में निदेषक पीडीपीएम–आईआईआईटीडीएम जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा ।

3. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध की किसी भी षर्तों या परिस्थिति का उल्लघंन किया जाता है तो निदेषक पीडीपीएम–आईआईआईटीडीएम जबलपुर द्वारा अनुबंध को अनुबंध की समय अवधि के बीच निर्धारित समय में ही लिखित कारण बताओ नोटिस दे कर समाप्त किया जा सकता है । इस प्रकार समाप्तिकरण पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राषि जब्त कर ली जाएगी । इस मामले पर संस्थान के निदेषक का निर्णय अंतिम होगा ।

4. संस्थान के निदेषक द्वारा एक महीने के लिखित सूचना देकर द्वारा अनुबंध को बिना किसी कारण के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है ।

5 मजदूरी, कल्याण और भुगतान की स्थितियॉ

1. ठेकेदार को केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर लागू सभी श्रम कानून, चिकित्सा व्यय, दुर्घटना सुविधा, कर्मचारी प्रतिपूर्ति, निम्नतम मजदूरी, अधिलाभ (बोनस), और दूसरे कल्याण के उपायों को आवष्यकतानुसार जो लागू होंगें का पालन करना होगा ।

2. सेवा प्रदाता को श्रम विभाग या किसी दूसरे विभाग या न्यायालय के नियमों/कानूनों का उल्लंघन करने पर लगाए गए अर्थदंड का भुगतान स्वंय करना होगा ।

3. कोई भी बच्चा कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा ।

4. भारत सरकार/श्रम कानून/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् कार्यरत सभी कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाष देना होगा ।

5. ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सभी कार्यरत् कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करना होगा ।

वचनपत्र

1. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने पीडीपीएम–आईआईटीडीएम जबलपुर द्वारा प्रस्तावित कार्य से संबंधित सभी नियम और शर्तों को समझ कर अध्ययन भली भाँति कर लिया है ।

2. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कार्य करने के मापदंडों और तकनीकी आर्हताओं को समझ लिया है और हम इन्हीं मापदंडों के अनुसार कार्य को दृढ़ता पूर्वक करेंगें ।

3. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा काली सूची में सूचीबद्व नहीं किया गया है ।

4. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा निविदा में दी गई सूचनाएँ सत्य और सही हैं और उपरोक्त की हम जिम्मेदारी लेते हैं ।

दिनांकः ....

(फर्म के निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर दिनांक सहित)

स्थान : ....

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-**482005**

कार्य का नाम : छात्रावास –3 में स्वल्पाहारगृह का संचालन

तकनीकी बोली (Technical Bid)

(तकनीकी बोली एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखी जाए जिस पर "तकनीकी बोली" अंकित किया गया हो)

1. निविदाकार का नाम :– ....

2. फर्म/एजेंसी का नाम :– ....

3. अमानत राशि का विवरण ड्राफ्ट नंबर(सहित) :– ....

4. समान क्षेत्र में कार्यअनुभव का विवरण (संबंधित संस्था का प्रमाणपत्र संलग्न करें)

स.क.	अवधि		संस्थान	सेवा/कार्य का विवरण
	से	तक		

(आवश्यक होने पर अलग पृष्ठ संलग्न करें)

5. पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष का वार्षिक लेनदेन (सनदी लेखाकार (**Practicing Chartered Accountant**) द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें)

वर्ष	वार्षिक लेनदेन लाख रु. में	दस्तावेज(प्रति संलग्न करें)

6. मूल्य वर्धित कर (**V.A.T.**) पंजीयन नंबर
(प्रमाण संलग्न करें):–..

7. स्थायी प्रमाणी करण संख्या (**PAN**) पंजीयन नंबर
(प्रमाण संलग्न करें):–..

8. फर्म/एजेंसी/दुकान हेतु पंजीयन नंबर
(प्रमाण संलग्न करें):–..

9. आयकर रिटर्न की प्रति (सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. कृपया स्पष्ट करें कि क्या निविदाकार एकमेव स्वामी/प्रा.लि./साझेदारी फर्म है ?
(सभी साझेदारों के नाम दिए जाएं, यदि लागू हो)

....
निविदाकार के हस्ताक्षर
एजेंसी की सील सहित

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-**482005**

वित्तीय बोली (Financial Bid)

(वित्तीय बोली एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखी जाएं जिस पर"वित्तीय बोली" अंकित किया गया हो, निविदा के साथ प्रस्तुत करें)

कार्य का नाम : छात्रावास –3 में स्वल्पाहारगृह का संचालन

1. निविदाकार एवं फर्म/एजेंसी का नाम :–...

2. ठेके की अवधि :– वास्तविक अनुबंध तिथि से एक वर्ष तक.

1. प्रस्तावित मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क :–...

मैने इस निविदा प्रपत्र एवं उसमें निहित समस्त शर्तों एवं निबंधनों को पूर्ण रुप से समझ लिया है. मैं परिशिष्ट 1, जो कि इस वित्तीय बोली के साथ संलग्न है व मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है, में दिए गए दरों पर खाद्यपदार्थ एवं नाश्ता (Snacks) के पैकेजेस विक्रय करने हेतु सहमत हूं. मैने यह भी समझ लिया है कि मुझे खाद्यपदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी. वि षतः बैठक इत्यादि में परोसे जाने वाले ना ता/भोजन के पैकेजेस में खाने की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी जो हल्दीराम/बिकानेर मिठाईयां के समकक्ष स्तर की होगी।

....
निविदाकार के हस्ताक्षर
एजेंसी की सील सहित

अनुलग्नक - 1

छात्रावास –3 में स्वल्पाहारगृह का संचालन (**Canteen**) में विक्रय किये जाने वाले खाद्यपदार्थों की दर सूची:–

क्र.	पदार्थ / वस्तु का नाम	मात्रा	दर (भाव)रुपयों में
1	चाय (एक कप)	125 एम.एल.	5.00
2	कॉफी (एक कप) नेस्कैफे	150 एम.एल.	6.00
3	समोसा (आलू ,मटर या दोनों)	75 ग्राम	5.00
4	ब्रेड पकोड़ा (आलू भरा हुआ)	75 ग्राम	8.00
5	मठरी	50 ग्राम	5.00
6	वेजीटेबल पकोड़ा	100 ग्राम	10.00
7	4 पूड़ी (प्रत्येक 50 ग्राम) + सब्जी (150 ग्राम)	प्रति प्लेट	20.00
8	लड्डू (बेसन / बूंदी)	50 ग्राम	6.00
9	सांबार + वड़ा (प्रत्येक 60 ग्राम)	60 ग्राम प्रत्येक के दो नग	20.00
10	सादा डोसा, सांबार व चटनी के साथ	प्रति नग	25.00
11	मसाला डोसा, सांबार व चटनी के साथ	प्रति नग	30.00
12	इडली (एक प्लेट = दो इडली), सांबार व चटनी के साथ	60 ग्राम प्रत्येक के दो नग	20.00
13	उत्तपम (200 ग्राम) चटनी के साथ	प्रति प्लेट	25.00
14	चाउमिन	200 ग्राम	20.00
15	मिक्स वेज कटलेट (75 ग्राम के दो नग)	प्रति प्लेट	15.00
16	छोटा बर्गर	1 नग	10.00
17	बर्गर (मेक डोनाल्ड साइज)	1 नग	20.00
18	सैंडविच मख्खन / ककड़ी / टमाटर के साथ बना.	1 नग	15.00
19	पैटीस (आलू)	सामान्य	10.00
20	पैटीस (पनीर)	सामान्य	12.00
21	बिस्कीट्स / टॉफी / दही / दूध / पैक्ड जूस	प्रति पैक	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
22	पैक्ड पेयजल / ीतल पेय / चिप्स इत्यादि	प्रति पैक	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
23	जूस बोतल / पैक्ड जूस	प्रति पैकेट	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
24	पोहा	प्रति प्लेट	10.00
25	नूडल्स और मैगी	200 ग्राम	20.00
26	जलेबी	100 ग्राम	20.00
27	पाव भाजी	एक पीस	20.00
28	सूखे मेवे (ड्राय फ्रुटस) पैकेट	प्रति पैकेट	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
29	तला चना, इत्यादि	प्रति पैकेट	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
30	वेजीटेबल उपमा	200 ग्राम	20.00
31	गोभी,आलू, और प्लेन पराठा	प्रति एक पीस	10.00
32	पानी पूरी	7 मसाला पीस के साथ	10.00
33	वेज बिरयानी (बासमती चावल) सूखे मेवे और आचार के साथ	1 प्लेट	30.00
34	आचार और सॉस	प्रति पैकेट	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
35	चिकन टिक्का (सूखा)	प्रति पैकेट	10.00
36	लहसुन / अदरक चिकन (सूखा)	प्रति पैकेट	10.00
37	चिकन बिरयानी (बासमती चावल) और रायता	एक प्लेट	40.00
38	ब्रेड और ऑमलेट	4 पीस और 2 अंडे	20.00
39	उबले अंडे और प्याज और सॉस	4 पीस	20.00
40	वेज और अंडा सैंडविच	1 पीस	20.00

पैकेजिंग की गुणवत्ता बहुत अच्छी व जलपानगृह समिति से अनुमोदित होनी चाहिये. उपर दिए गए दरों में सभी प्रकार के कर शामिल है।

नोट :– छात्रावास –3 में स्वल्पाहारगृह का में किसी भी प्रकार की शराब, सिगरेट, गुटखा व अन्य विषैली वस्तुओं के विकय की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। सक्षम **समिति की** जॉच में इस शर्त का उल्लघंन पाए **जाने की** स्थिति में संविदा **तत्काल** प्रभाव से निरस्त **की जा कर सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी।**

मैने उपरोक्त को अच्छी तरह समझ लिया है व उल्लिखित दरों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु मैं सहमत हूँ।

....

निविदाकार के हस्ताक्षर
एजेंसी की सील सहित

अनुलग्नक - 2.

Hall of Residence - III

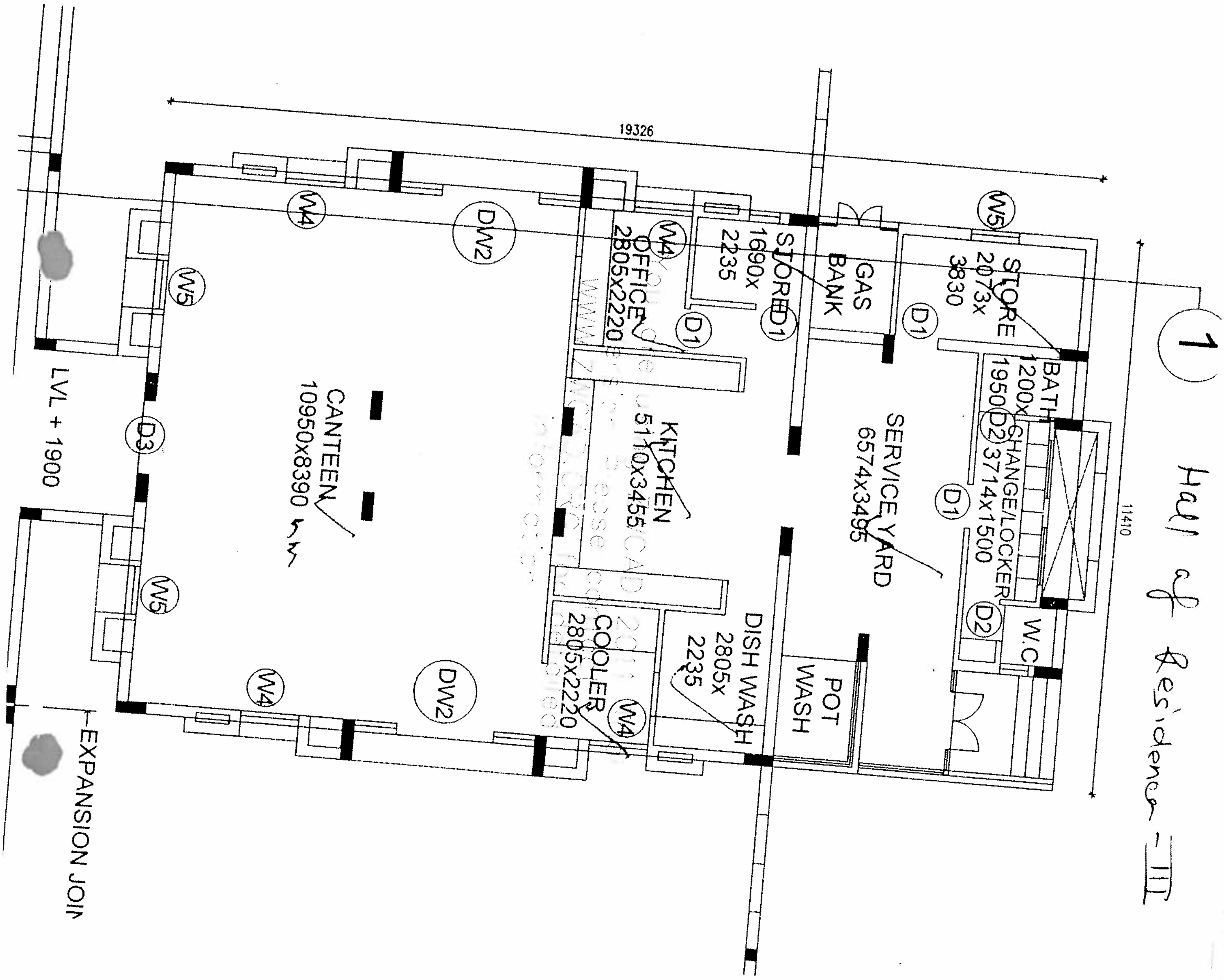

16/4/15

16/4/15